न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक नि.ग.-3469- सन् I-16

मन्जू पत्नी श्री अशोक कुमार सोनी
निवासी भोलेकालौनी राजनगर
तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र0 ....अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व प्रकरण कमांक 21 / अ-3 / 2015-16 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2016 से परिवेदित होकर।</u>

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
हजारी जिला, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

महोदय,

<u>आवेदक / निगरानीकर्तागण</u> निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है-

01. यह कि आवेदक द्वारा राजनगर की भूमि खसरा नं0 534 / 1 / 1 एवं 534 / 1 / 2 रकवा कमशः 0.607 एवं 0.607हे0 जो आवेदिका की सास रमादेवी बेवा स्वामी प्रसाद सोनी व आवेदिका श्रीमती मंजू पत्नी श्री अशोक कुमार सोनी के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है परन्तु बिना किसी सक्षम अधिकारी के आवेदिका को परेशान करने की गरज से हल्का पटवारी द्वारा उसकी भूमि को खुर्द बुर्द कर टुकड़ो मे विभाजित कर दिया है जिसे सुधार करने का आवेदन तहसीलदार राजनगर जिसे अब आगे योग्य अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जायेगा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा आवेदन पत्र के साथ खसरा खतौनी व हल्का पटवारी द्वारा टीप सहित जारी नक्शा को भी पेश किया गया था।

02. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संपूर्ण दस्तावेजो से स्पष्ट होने के बावजूद भी कि हल्का पटवारी द्वारा जारी नक्शा मे भी यह स्पष्ट लेख किया गया है कि वगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त तरमीम की गई है तथा अपने

मन्जू सोनी

क्रमशः / / 2 / /

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R 3469-I/16 .... जिला ...छतरपुर.........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-10-16	1— आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्र.क्र. 21/अ—3/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 10—05—2016 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदिका की ओर से तर्क दिया गया है कि भूमि खसरा नं. 534/1/1 एवं 534/1/2 कुल रकवा 1.214 हे0 की भूमि के नक्शे में वगैर किसी सक्षम अधिकारी के गलत तरीके से की गई तरमीम की शुद्धिकरण हेतु आवेदन तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और जिस पर तहसीलदार द्वारा दर्ज करते हुए राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन चाहां था। परंतु जांच प्रतिवेदन के आधार कोई कार्यवाही न करते हुए प्रकरण में दिशाविहीन कार्यवाही की जा रही है, जिसे निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 3— मैंने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में निगरानी में दर्शित तथ्यों व संलग्न राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी राजनगर द्वारा मौके के कब्जा के आधार पर नवीन प्रस्तावित तरमीम दिनांक 13.09.16 व संलगन पंचनामा एवं खसरा खतौनी व अन्य निगरानी के साथ दस्तावेजों के साथ सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया है जिससे यह प्रकट कि हल्का पटवारी राजनगर द्वारा जारी नक्शा दिनांक 05.04.2015 में यह स्पष्ट लेख है कि आवेदित भूमि में जो तरमीम है वह बिना किसी समक्ष अधिकारी के आदेश से की गई है जबकि आवेदिका व रमादेवी के नाम से भूमि खसरा नं. 534/1/1 एवं 534/1/2 कुल रकवा 1.214 हे0 बतौर भूमि स्वामी पर	

[कृ. प. उ.

R. 3469-I/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दर्ज है जिससे प्रस्तुत पंचनामा एवं प्रतिवेदन दि.13.09.2016 भूमि स्वामी के कब्जा को देखते हुए राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है किंतु तहसीलदार राजनगर द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के नक्शे में की गई तरमीम के आधार पर कार्यवाही अमल की गई है जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदिका के स्वामित्व व उसके अधिपत्य की भूमि व नक्शे में गलत तरीके से तरमीम की गई है। जिसकी अधिकारिता तहसीलदार राजनगर को नहीं है इस कारण तहसीलदार राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ–3/15–16 में की गई कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 4– उपरोक्त आधार पर तहसीलदार राजनगर को निर्देशित किया जाता है कि आवेदिका के भूमि खसरा नंबर 534/1/1 व 534/1/2 कुल रकवा 1.214 हे0 के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त तरमीम प्रस्ताव दिनांक 13.09.16 को मान्य करते हुए तदानुसार राजस्व अभिलेख नक्शे से बिना किसी समक्ष अधिकारी के द्वारा की गई तरमीम को विलोपित की जाकर प्रस्तावित तरमीम दिनांक 13.09.16 के आधार पर नक्शे में तरमीम किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	